No. W-08/0003/2017-DPE (WC)
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

Public enterprises Bhawan Block No. 14, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi, Dated: 14th August, 2017

Office Memorandum

Subject: Cabinet decision on implementation of the recommendations of 3rd Pay Revision Committee (3rd PRC) on pay revision of Executives and Non-Unionized Supervisors of Central Public Sector Enterprises (CPSEs)

The undersigned is directed to inform that the Cabinet has approved the proposal of Pay Revision of Executive (Board level executives, below Board level executives) and Non-Unionized Supervisors of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) w.e.f. 1.1.2017 in its meeting held on 19.07.2017. Accordingly, two OMs dated 3rd August and 4th August, 2017 have been issued by this Department. In this regard, it is requested to give wide publicity of the decision taken by the Government as per the 'brief' enclosed (in English & Hindi).

(Samsul Haque) Under Secretary Phone- 011-24360823

Encl: As above

To

- The Press Information Bureau for publicity on Television and National/ Regional/ Local Newspapers, Bulletin on AIR News/AIR FM/Private FM Radio Stations (small write-up for electronic media also enclosed)
- To all Administrative Ministries concerned with CPSEs for disseminating through their respective social media accounts (Facebook & Twitter)
- 3. All the Ministries/ Departments of the Government of India and CPSEs for circulation of the 'brief'
- 4. NIC for uploading on the website of Department of Public Enterprises

Brief

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the pay revision of Executives and Non-Unionised Supervisors of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) based on the recommendations of 3rd Pay Revision Committee. The pay revision will come into effect from 1.1.2017.

- 2. As against 23 months wait at the time of implementation of 2^{nd} PRC recommendations, the 3^{rd} PRC recommendations are being implemented within about 7 months from the due date.
- 3. The 3rd PRC was headed by Justice Satish Chandra (Retd.) and its other members were Shri Jugal Mohapatra, Ex-IAS officer, Prof. Manoj Panda, Director, Institute of Economic Growth Delhi, Shri Shailendra Pal Singh, Ex-Director (HR), NTPC Ltd. and Secretary, Department of Public Enterprises (DPE).
- 4. On the basis of decisions taken by the Cabinet two OMs dated 3.8.2017 and 4.8.2017 have been issued by DPE for implementation of pay revision of Executives and Non-Unionised Supervisors of Central Public Sector Enterprises which inter-alia include the following:
 - There is focus on affordability of a CPSE to implement the pay revision without its impact being detrimental to its financial sustainability. The additional financial impact in the year of implementing the revised pay package in a CPSE should not be more than 20% of the average Profit Before Tax (PBT) of the last 3 financial years preceding the year of implementation.
 - ii) A uniform fitment benefit of 15% of Basic Pay (BP) plus Dearness Allowance (DA) in case the additional financial impact of the pay revision is within 20% of the average PBT of the last 3 financial years has been approved. Besides, part fitments of 10% & 5% for those CPSEs in which the additional financial impact of pay revision on the average PBT of last three financial years is likely to be more than 20%, has also been approved. Subsequent to the implementation, profitability of a CPSE would be reviewed after every 3 years.
 - iii) A uniform rate of 3% of BP will be applicable for both annual increment as well as promotion increment.
 - iv) The Board of Directors of CPSEs are empowered to decide on the perks and allowance admissible to the different categories of the executives, under the concept of 'Cafeteria Approach', subject to a ceiling of 35% of BP.
 - v) The house rent allowance to the employees of CPSEs will be 24%, 16% and 8% for X-class City, Y-class City and Z-class city respectively. The rates of HRA will be revised to 27% 18% & 9% for X, Y and Z class cities respectively when IDA crosses 25% and further revised to 30% 20% and 10% when IDA crosses 50%.

- vi) The payment of work based hardship duty allowance upto 12% of Basic Pay shall be admissible for the period the executives / non-unionized supervisors has actually performed one of the following hardship duty:
 - a) For performing duty in Underground mines, and
 - b) For performing duty at Offshore exploration site
- vii) Regarding Performance Related Pay, the overall ceiling of 5% of the year's profit from core business activities has been continued. The ratio of relevant year's profit to incremental profit for working out PRP has been however, revised to 65:35 as against 60:40 earlier. Besides, CPSE's and individual performance, weightage will also be given to team's performance while determining the PRP payable to an executive.
- viii) The 3rd PRC's recommendation for discontinuation of "Bell curve" to the extent that the forced rating of 10% as below par /poor performer should not be made mandatory, has been accepted.
- ix) The existing provisions regarding superannuation benefits have been retained and as per which CPSEs can contribute upto 30% of BP plus DA towards Provident Fund (PF), Gratuity, Post-Superannuation Medical Benefits (PRMB) and Pension of their employees. The ceiling of gratuity of the executives and non-unionised supervisors of the CPSEs would be raised from Rs 10 lakhs to Rs 20 lakhs with effect from 01.01.2017 and the funding for the entire amount of Gratuity would be met from within the ceiling of 30% of BP plus DA. Beside, ceiling of gratuity shall increase by 25% whenever IDA rises by 50%. Further, the existing requirement of superannuation and of minimum of 15 years of service by a CPSE employee will not be mandatory for the pension, whereas Post-Retirement Medical Benefits will continue to be linked to requirement of superannuation and minimum of 15 years of continuous service (except for Board level Executives).
- x) The corpus for post –retirement medical benefits and other emergency needs for the employees of CPSEs who have retired prior to 01.01.2007 would be created by contributing the existing celling of 1.5% of PBT. The formulation of suitable scheme in this regard by CPSEs has to be ensured by the administrative Ministries/Departments.
- The revision of scales of pay for Non-unionized Supervisory staff would be decided by the respective Board of Directors.
- An Anomalies Committee consisting of Secretaries of Department of Public Enterprises (DPE), Department of Expenditure and Department of Personnel & Training has been constituted for a period of two years to look into further specific issues/problems that may arise in implementation of the Government's decision on 3rd pay revision Committee's recommendations.
- xiii) The expenditure on account of pay revision is to be entirely borne by the CPSEs out of their earnings and no budgetary support will be provided.

Small write-up for electronic media

- The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the pay revision of Executives and Non-Unionised Supervisors of Central Public Sector Enterprises based on the recommendations of 3rd Pay Revision Committee. The pay revision will come into effect from 01.01.2017. As against 23 months wait at the time of implementation of 2nd PRC recommendations in 2008, the 3rd PRC recommendations are being implemented within about 7 months from the due date i.e. 01.01.2017.
- 2. Affordability of a CPSE to implement the pay revision without its impact being detrimental to its financial sustainability will be an important criterion to effect the pay revision. A uniform fitment benefit of 15% of Basic Pay(BP) plus Dearness Allowance (DA) in case the additional financial impact of the pay revision is within 20% of the average PBT of the last 3 financial years has been approved.
- 3. Besides, part fitments of 10% & 5% for those CPSEs in which the additional financial impact of pay revision is likely to be more than 20% of average PBT of last three financial years has also been approved. Subsequent to the implementation, profitability of a CPSE would be reviewed after every 3 years. Other benefits like Perks & Allowances based on "cafeteria approach" upto 35% of BP and Superannuation Benefits upto 30% of BP+DA have been approved.
- 4. The house rent allowance to the employees of CPSEs will be 24%, 16% and 8% for X-class City, Y-class City and Z-class city respectively. The rates of HRA will be revised to 27% 18% & 9% for X, Y and Z class cities respectively when IDA crosses 25% and further revised to 30% 20% and 10% when IDA crosses 50%.

सार-संक्षेप

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर आधारित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन को अनुमोदित कर दिया है। वेतन संशोधन 1.1.2017 से लागू होगा।

- 2. दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में 23 माह की प्रतीक्षा की तुलना में तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को निर्धारित दिनांक से लगभग 7 माह के भीतर क्रियान्वित किया जा रहा है।
- 3. तीसरी वेतन संशोधन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सतीश चन्द्रा (सेवा निवृत्त) थे और श्री जुगल महापात्रा भूतपूर्व आईएएस अधिकारी, प्रो. मनोज पाण्डा, निदेशक, इनस्टीट्यूट ऑफ इकनोमिक ग्रोथ, दिल्ली, श्री शैलेन्दर पाल सिंह, भूतपूर्व निदेशक (एचआर), एनटीपीसी लि. और सचिव, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) इसके सदस्य थे।
- 4. मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन को लागू करने के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 03.08.2017 और 04.08.2017 के दो कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित को शामिल किया गया है:
 - (i) वेतन संशोधन को लागू करने के लिए सीपीएसई की वित्तीय सततता पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना उनकी देय सामर्थ्य को ध्यान में रखा गया है। सीपीएसई में संशोधित वेतन पैकेज को लागू करने के वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय भार क्रियान्वयन के वर्ष से पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत कर पूर्व लाभ (प्रोफिट बीफोर टैक्स या पीबीटी) का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - (ii) मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 15% समान फिटमेंट लाभ अनुमोदित किया गया है, अगर वेतन संशोधन का अतिरिक्त वित्तीय भार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत पीबीटी के 20% के अन्दर है। इसके अतिरिक्त उन सीपीएसईज़ के लिए 10% और 5% का आंशिक फिटमेंट भी अनुमोदित किया गया है, जिनमें वेतन संशोधन का अतिरिक्त वित्तीय भार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत पीबीटी के 20% से ज्यादा होने की संभावना है। कार्यान्वयन के बाद सीपीएसई की लाभकारिता की प्रत्येक 3 वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी।
 - (iii) वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ-साथ पदोन्नित वेतन वृद्धि के लिए मूल वेतन के 3% की एक समान वृद्धि दर को अनुमोदित किया गया है।
 - (iv) सीपीएसईज़ के निदेशक मंडलों को 'कैफेटेरिया अप्रोच' की संकल्पना के अंतर्गत मूल वेतन के 35% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन कार्यपालकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुमत अनुलाभ एवं भत्तों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।

- (v) सीपीएसईज के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता X श्रेणी शहर, Y श्रेणी शहर, Z श्रेणी शहर के लिए क्रमशः 24%, 16%, 8% होगा। एचआरए की दरों को X, Y, Z के शहरों के लिए संशोधित कर के क्रमशः 27%, 18% और 9% किया जाएगा, जब आइडीए 25% से अधिक हो जाए और जब आइडीए 50% से अधिक हो जाएगा तो फिर से संशोधित कर 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा।
- (vi) कार्यपालकों/ असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए मूल वेतन के 12% तक कार्य आधारित हार्डिशिप ड्यूटी भत्ते की अदायगी उस अवधि के लिए अनुमत्य होगी जिसमें उन्होंने निम्नलिखित हार्डिशिप ड्यूटी में से किसी एक का वास्तविक रूप से निष्पादन किया हो।
 - क) भूमिगत खानों में ड्यूटी करने के लिए, और
 - ख) अपतटीय गवेषना स्थल पर ड्यूटी करने के लिए
- (vii) पीआरपी के संबंध में प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियों से होने वाले वार्षिक लाभ के 5% की समग्र सीमा यथावत रहेगी। तथापि, पीआरपी परिकलित करने के लिए संबंधित वर्ष के लाभ और परिवर्धित लाभ के संबंध में अनुपात को विगत के 60:40 की तुलना में संशोधित करके 65:35 किया गया है। इसके अतिरिक्त, कार्यपालक को देय पीआरपी का निर्धारण करते समय सीपीएसईज़ एवं व्यैक्तिक कार्यनिष्पादन के साथ साथ टीम निष्पादन को भी भारांक दिया जाएगा।
- (viii) 'बेल कर्व' को उस सीमा तक समाप्त करने की तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिश कि 10% रेटिंग को समकक्ष से नीचे/खराब कार्यनिष्पादन के लिए अनिवार्य न बनाया जाए, को मंत्रिमण्डल ने मान लिया है।
- (ix) सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी उन मौजूदा प्रावधानों को जारी रखा है, जिनके अनुसार सीपीएसईज़ द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि (पीएफ), ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभों (पीआरएमबी) और पेंशन के लिए मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 30% तक का योगदान किया जा सकता है। सीपीएसईज़ के कार्यपालकों एवं असंघबद्धं पर्यवेक्षकों की ग्रेच्युटी की मौजूदा सीमा को 01.01.2017 से 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा और ग्रेच्युटी की समग्र राशि की भरपाई मूल वेतन + महंगाई भत्ते के 30% की सीमा के भीतर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आईडीए में 50% की वृद्धि होने पर ग्रैच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त पेंशन के लिए सेवानिवृत्ति की मौजूदा शर्त और सीपीएसईज़ में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा अब अनिवार्य नहीं होगी जबिक सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ को सेवानिवृत्ति और (बोर्ड स्तर के कार्यपालकों से इतर के लिए) न्यूनतम 15 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त से जोड़े रखने को जारी रखा जाएगा।
- (x) 1.1.2007 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभों और अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए पीबीटी की 1.5% की विद्यमान सीमा में योगदान द्वारा कोष

सृजित किया जाएगा। सीपीएसईज़ द्वारा इस संबंध में उपयुक्त स्कीम तैयार करने के कार्य को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

- (xi) असंघबद्ध पर्यवेक्षक कर्मचारियों के लिए वेतन मानों के संशोधन के संबंध में निर्णय संबंधित निदेशक मंडल द्वारा लिया जाएगा।
- (xii) तीसरी वेतन संशोधन पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में आने वाले विशिष्ट मुद्दों/समस्याओं को देखने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए एक विसंगति समिति के गठन को भी अनुमोदित कर दिया है जिसमें लोक उद्यम विभाग, व्यय विभाग (डीओई) और डीओपीटी के सचिव शामिल होंगे।
- (xiii) वेतन संशोधन के कारण होने वाले व्यय को सीपीएसईज़ पूरी तरह से अपनी आय से वहन करेंगे और कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए संक्षिप्त लेख

तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर आधारित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने अनुमोदित कर दिया है। वेतन संशोधन 1.1.2017 से लागू होगा। वर्ष 2008 में दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में 23 माह की प्रतीक्षा की तुलना में तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों को निर्धारित दिनांक अर्थात् 01.01.2017 से लगभग 7 माह के भीतर क्रियान्वित किया जा रहा है।

- 2. सीपीएसई की वित्तीय सततता पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाले बिना वेतन संशोधन को कार्यान्वित करने का उसका सामर्थ्य वेतन संशोधन लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदण्ड होगा। मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के योग का 15% समान फिटमेंट लाभ अनुमोदित किया गया है यदि वेतन संशोधन का अतिरिक्त वित्तीय भार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत पीबीटी के 20% के अन्दर है।
- 3. इसके अलावा, उन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए 10% एवं 5% का आंशिक फिटमेंट जिनमें वेतन संशोधन का अतिरिक्त वित्तीय लाभ पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत पीबीटी के 20% से अधिक होने की संभावना है, को भी अनुमोदित किया गया है। कार्यान्वयन के पश्चात सीपीएसई की लाभकारिता की प्रत्येक 3 वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी। "कैफेटेरिया अप्रोच" पर आधारित मूल वेतन के 35% तक अन्य लाभ जैसे कि अनुलाभ और भत्तों तथा मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता के 30% तक अधिवर्षिता लाभों को अनुमोदित किया गया है।
- 4. सीपीएसईज के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता X श्रेणी शहर, Y श्रेणी शहर, Z श्रेणी शहर के लिए क्रमशः 24%, 16%, 8% होगा। एचआरए की दरों को X, Y, Z के शहरों के लिए संशोधित कर के क्रमशः 27%, 18% और 9% किया जाएगा, जब आइडीए 25% से अधिक हो जाए और जब आइडीए 50% से अधिक हो जाएगा तो फिर से संशोधित कर 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा।